

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गुदागौड़जी

श्रीमान श्री. बालराम ग्राम शोडली

की खता संख्या 205-78 के खाता संख्या

175 में सख्त से जांची का नाम शिशाराम पुत्र मूलचराम दर्ज है जो कि
खताने दस्तावेजों के माध्यम पर शिशाराम पुत्र मूलचराम द्वारा किया जाना ज्ञेय है।
शुद्ध बिक्र 0000 3 लिट 0/180 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

Babit
01/11/2021
पटवारी-श्री

क्रमांक - राजस्व/2020/ 676-77

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनिश्चयता की जाती है।

21/11
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 1-11-2021

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसूचन में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जनाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	शोडली	2075-78	175	शिशाराम पुत्र मूलचराम जाति मैद्यवाल	शिशाराम पुत्र मूलचराम जाति मैद्यवाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

24/11
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 676-77

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

दिनांक :- 1-11-2021

को

24/11
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी